संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा,म.प्र.

विजयाराजे वात्सल्य भवन प्लाट नम्बर 28,जेल रोड अरेरा हिल्स,भोपाल

क्रमांक/पो.आ/2015/3302 भोपाल, दिनांक 29/06/2015

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा,
जिला–समस्त (म.प्र)

विषयः–आंगनवाडी केन्द्रों में हितग्राहियों को गुणवत्ता युक्त पूरक पोषण आहार वितरण के संबंध में ।

संदर्भः–म.प्र.शासन म.बा.वि.विभाग का पत्र क्र.4–5/2014/50–2,दिनांक 24.2.14 एवं संचालनालयीन पत्र क्र./पोआ/15/2704,दिनांक 2.5.15 ।

.....

विभिन्न जिले की आंगनवाड़ी केन्द्रो में स्व–सहायता समूह द्वारा वितरित किये जाने वाले नाश्ता/भोजन में छिपकली, कीड़े निकलने एवं दूषित आहार प्रदाय की काफी घटनायें प्रकाश में आयी है, यह चिंताजनक है। आंगनवाडी केन्द्रों में स्व सहायता समूह द्वारा गुणवत्तायुक्त पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाना अति आवश्यक है । भविष्य में आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्व–सहायता समूह के माध्यम से गुणवत्तायुक्त पूरक पोषण आहार नियमित रूप से वितरण हो इस संबंध में निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

1. भविष्य में नाश्ता/भोजन में छिपकली, कीड़े निकलने एवं दूषित आहार प्रदाय करने की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस संबंध में आपके स्तर से कड़े कदम उठाये जाऐं। स्व–सहायता समूह द्वारा प्रदाय पूरक पोषण आहार में दुर्गन्ध एवं कीडे पाए जाने की घटना न हो, इस हेतु विशेष सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें। स्व सहायता समूह के पास पोषण आहार के पकाने, वितरण, भण्डारण हेतु समुचित व्यवस्था हो तथा आहार तैयार करने में गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री का उपयोग कदापि नही किया जावें।

यदि किसी भी समूह के द्वारा खराब/गुणवत्ताहीन पोषण आहार का प्रदाय किया जाता है जो हितग्राही के लिए नुकसानदायक हो तो स्व सहायता समूह के विरूद्व तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें। खाद्य सामग्री की सुरक्षा,गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था पूर्णतः सुदृढ हो यह सुनिश्चित किया जावें। किसी भी स्थिति में खराब पोषण आहार का वितरण न हो

2. दूषित भोजन वितरण की घटना के संज्ञान में आने के 03 घण्टे के अंदर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण /जांच की जावे तथा निरीक्षण/जांच के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट 24 घण्टे में जिला–कलेक्टर की ओर प्रेषित की जावे। परियोजना अधिकारी के दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव संभागीय आयुक्त को तथा पर्यवेक्षक के दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाये तथा समूह के दोषी पाये जाने पर आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार प्रदाय कार्य से पृथक करने की नियमानुसार तत्काल जिला स्तर से कार्यवाही की जावे।

3. आंगनवाडी केन्द्रों में हितग्राहियों को पोषण आहार वितरण एवं गुणवत्ता के संबंध में सीधे जिला स्तर/परियोजना स्तर पर शिकायतें प्राप्त होती है अथवा विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार प्रकाशित होते है तो ऐसी सभी शिकायतों की जॉच, शिकायत प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर की जाकर निराकरण जिला स्तर पर आपके द्वारा स्वयं किया जावें तथा प्रतिवेदन तत्काल संचालनालय को भेजा जावें ।

4. ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति के सदस्यों के माध्यम से आंगनाडी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता की भी जॉच नियमित रूप से कराई जाए तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन पूरक पोषण आहार चखने के उपरांत ही हितग्राहियों को वितरित करे, यह बाध्यता सुनिश्चित कराई जावे।

5. आंगनवाड़ी केन्द्रो पर स्व–सहायता समूह द्वारा प्रदाय नाश्ता एवं भोजन का प्रतिदिन पंचनामा अनिवार्यतः तैयार किया जावे। पंचनामा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्व–सहायता समूह के प्रतिनिधि, अथवा रसोईया, पालक/माता/पिता तथा स्कूल परिसर में आंगनवाडी होने पर प्रधानाध्यापक द्वारा नामांकित प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर कराए जावें।

(पुष्पलता सिंह)
आयुक्त,
एकीकृत बाल विकास सेवा,म.प्र.

पृष्ठां.क्र./पो.आ./15/3303 भोपाल,दिनांक 29.06.15

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक,एकीकृत बाल विकास सेवा संभाग समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,
एकीकृत बाल विकास सेवा,म.प्र.